'राइजिंग राजस्थान' के ब्रांड एम्बेसडर हैं स्थानीय उद्यमी : भजनलाल शर्मा

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं व्यापारी राइजिंग राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वे देश के कई राज्यों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानी उद्योगपतियों से संपर्क कर उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करें, ताकि वे अपना औद्योगिक कौशल अपनी मातृभूमि पर दिखा सके।

- **मुख्यमंत्री ने व्यापारियों व उद्यमियों से संवाद करते हुए कहा कि, ''प्रवासी राजस्थानियों से संपर्क कर प्रदेश में निवेश लाएं'**
- **मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उद्योगों को पर्याप्त बिजली और पानी की सुविधा मिलेगी**

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को अपने निवास पर 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के संबंध में स्थानीय औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया।

शर्मा सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जयपुर में 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाली 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' के संबंध में स्थानीय औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्थानीय उद्यमी एवं उनके संगठनों का व्यापक नेटवर्क आगामी राइजिंग राजस्थान समिट की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस नेटवर्क का उपयोग करते हुए ये संगठन अपनी शाखाओं के माध्यम से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एवं बिहार में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन का आयोजन करें और उन्हें निवेश करने के लिए आकर्षित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वोकल फोर लोकल पर विशेष रूप से ध्यान देने के साथ ही 'एक जिला, एक उत्पाद नीति' भी लागू करने जा रही है। इससे स्थानीय उद्यिमयों की आर्थिक प्रगति होगी और रोजगार के नये अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) 2024 के अंतर्गत स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत इन्सेंटिव्स के लिए निवेश की न्यूनतम सीमा 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही, राज्य सरकार उद्योग नीति, स्टार्टअप नीति, ग्रीन हाइड्रोजन नीति, निर्यात प्रोत्साहन नीति, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग नीति पर कार्य कर रही है, जिनमें निवेश को सुगम एवं सुलभ बनाने के प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के क्रम में अब तक 18 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन किए हैं, जिन्हें राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ धरातल पर उतारेगी। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने विगत 10 महीने के कार्यकाल में एक रोडमैप के तहत बिजली एवं पानी के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया है। राज्य सरकार ने बिजली के क्षेत्र में 2 लाख 24 हजार करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिससे हम प्रदेश को 2027 तक ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। राजस्थान बिजली खरीदेगा नहीं, बल्कि बेचेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल-ईआरसीपी लिंक परियोजना एवं यमुना जल समझौता कर हमने प्रदेश में पानी की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। बिजली और पानी की उपलब्धता हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएं हैं, इसी से प्रदेश औद्योगिक विकास के पथ पर निरंतर गतिमान होगा।

बैठक में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट को सफल बनाने के लिए स्थानीय व्यापारिक संगठन राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। प्रदेश में निवेश लाने के लिए व्यापारिक संगठनों की देशभर में फैली शाखाएं सक्रिय रूप से कार्य करेगी। उन्होंने पर्यटन, कृषि, शिक्षा, खनन, आवासन, हस्तशिल्प, मार्बल, अक्षय ऊर्जा, टैक्सटाइल्स, इलेक्ट्रोनिक, जेम्स एंड ज्वैलरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से संबंधित पर अपने सुझाव भी मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए। क्रेडाई के चेयरमैन गोपाल गुप्ता एवं संरक्षक अनुराग शर्मा, जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल, लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष घनश्याम ओझा, फोर्टी के कार्यकारी निदेशक अरूण अग्रवाल, जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर के चेयरमैन आई सी अग्रवाल, प्रबंध निदेशक आरएमसी जेम्स निर्मल बरड़िया जयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष श्याम अग्रवाल सहित प्रमुख उद्योगपति बैठक में उपस्थित थे।

इस अवसर पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, प्रमुख सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, प्रमुख सचिव (मुख्यमंत्री) आलोक गुप्ता, आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य रोहित गुप्ता, रीको प्रबंध निदेशक इंद्रजीत सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

विधानसभा के मार्शल संजय चौधरी और उप सचिव विजय बहादुर सेवानिवृत

जयपुर । राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि प्रत्येक कार्य महत्वपूर्ण होता है। जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारियां दी जाये,

- **जिम्मेदारियों का निष्ठा से दायित्य निर्वहन करें : वासुदेव देवनानी**
- **समारोह में नेता प्रतिपक्ष जूली व संसदीय कार्य मंत्री पटेल भी हुए शामिल**

उसे उस दायित्यों का निर्वहन निष्ठा से करना चाहिए। इसी से व्यक्ति और संस्था दोनों की छवि का प्रदर्शन होता है। देवनानी सोमवार को यहां विधानसभा के मार्शल संजय चौधरी और उप सचिव विजय बहादुर के सेवानिवृत्ति समारोह को सम्बोधित कर रहे थे। देवनानी ने दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया। देवनानी ने कहा कि विधान सभा सचिवालय जैसे महत्वपूर्ण कार्यालय की गरीमा को बनाये रखने का दायित्व यहां कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का है।

समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मार्शल का कार्य विशेष प्रकृति का होता है। मार्शल चौधरी ने 24 वर्ष तक इस पद पर रहकर विधान सभा के सुरक्षा दायित्यों का निष्ठा से निर्वहन किया है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधान सभा में कार्य करने वाला प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी भाग्यशाली है, जिन्हें ऐसे स्थल पर राजकीय सेवा करने का मौका मिला है। समारोह को 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने वाले विधान सभा सचिवालय के मार्शल संजय चौधरी और उप सचिव विजय बहादुर ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में विधान सभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा, विशिष्ट सहायक के. के. शर्मा, विधान सभा सचिवालय के कर्मचारी बचत एवं साख सहकारी समिति के अध्यक्ष रवि जैन सहित विधान सभा के अधिकारीगण एवं कर्मचारी मौजूद थे।

राजस्थान विधानसभा के मार्शल संजय चौधरी और उप सचिव विजय बहादुर की सेवानिवृत्ति पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने दोनों अधिकारियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनन्दन किया।

खोया पाया

आवास संख्या 34/64 मानसरोवर जयपुर का अदेय प्रमाण पत्र व कब्जा पत्र गिल/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। सुशीला अरोडा मो. 9460028446

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स रजिस्ट्रेशन संख्या:-28/13/2005 पता ग्राम व पोस्ट:-भेड़ोली जिला दौसा स्थान से इन्द्राज है। जिसमें फर्म के पार्टनर क्रमश: 1. अमित यादव 2. मनोज कुमार ,दिनांक 27.07.2024 को रिटायर हो रहे है एवं नये पार्टनर के रूप में क्रमश: 1. साहिल बैंसला 2. कृष्ण कुमार यादव 3. भजन लाल 4. महिपाल सिंह 5. रमेश चन्द्र 6. लीलाराम दिनांक 27.07.2024 को शामिल हो रहे है। अत: इस फर्म में किसी को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र दौसा में 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है।

मैसर्स सिद्धार्थ बिल्डर्स
भेडोली जिला दौसा (राज.)

नाम परिवर्तन

मैं सुरेशचन्द रगैर पुत्र हरी किशन रगैर ने अपना नाम सुरेशचन्द्र रैगर से परिवर्तन कर सुरेश कुलदीप पुत्र हरि किशन रगैर रख लिया है। निवासी-21, कैलाश विहार कॉलोनी नीदंड जयपुर राजस्थान-9799319553

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2024/डी-1760 दिनांक: 25/10/24
विज्ञप्ति
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती सजनी देवी पत्नी स्व. श्री सूरजमल जाट एवं श्री हंसराज पुत्र स्व. श्री सूरजमल जाट द्वारा लुनियावास गृ.नि.स.स लि. की योजना गोविन्द नगर के भूखण्ड संख्या 132 क्षेत्रफल 97.11 व.ग. का पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। सोसायटी द्वारा जारी आवंटन पत्र दिनांक 21.07.1993 के द्वारा श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा के नाम जारी किया गया था। तत्पश्चात श्री सीताराम मीणा पुत्र श्री रामनारायण मीणा ने उक्त भूखण्ड संख्या 132 क्षेत्रफल 97.11 व.ग. को पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.02.2011 के द्वारा श्री सूरजमल जाट पुत्र श्री गजानन्द जाट को विक्रय किया गया है। श्री सूरजमल जाट पुत्र श्री गजानन्द जाट की मृत्यु दिनांक 07.11.2021 को हो चुकी है। इनकी मृत्यु के पश्चात इनके दो विधिक वारिस है जिसमें श्रीमती सजनी देवी पत्नी स्व. श्री सूरजमल जाट एवं श्री हंसराज पुत्र स्व. श्री सूरजमल जाट है। उक्त भूखण्ड के पट्टे हेतु सजरा प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर आवेदन किया गया है अतः उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूखण्ड संख्या 132 का पट्टा दिये जाने के संबध में यदि किसी व्यक्ति/ संस्था/ हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदिका के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया जावेगा। समय सीमा पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। सूचित रहें।
उपायुक्त जोन-8 जविप्रा, जयपुर

उद्घोषणा (इश्तिहार) न्यायालय (राज.)

व्यवहार मिश्रित (मुत्तफरिक) वाद सं. 372/2024
विषय: उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र।
प्रार्थी-नाम श्रीमती शोभा देवी पत्नी स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति- जांगिड विवाद स्थान-3/121, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर। मृतक स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा की सम्पत्ति के विषय में।
पेशी दिनांक 13.12.2024
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, उपरोक्त प्रार्थी/प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि मृतक, नाम स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा पुत्र स्व. श्री देवदत्त शर्मा जाति- जांगिड निवासी 3/121, परसराम नगर, ढेहर का बालाजी, सीकर रोड़, जयपुर का उत्तराधिकारी स्वीकार कर उसके पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र, प्रोबेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रदान किया जावे।
अतः उक्त प्रार्थना पत्र की स्वीकृति में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 13 माह 12 सन् 2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रमाण सहित प्रस्तुत करे। उक्त दिवस के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
आज दिनांक 28 माह 10 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रांकन से जारी किया गया।
आज्ञा से
वरिष्ठ मुंसरिम
जिला एवं सैशन न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय

आयुर्वेद निदेशक पेश होकर बताएं कि ''आदेश की पालना क्यों नहीं की?''

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने के मामले में दिए आदेश की पालना नहीं करने को गंभीरता से लिया है। इसके साथ ही अदालत ने आयुर्वेद निदेशक को हाजिर होकर बताने को कहा है कि आदेश की पालना क्यों नहीं की गई। हालांकि अदालत ने कहा है कि यदि दो सप्ताह में आदेश की पालना कर ली जाती है तो निदेशक को अदालत में पेश होने की जरुरत नहीं है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश डॉ. महेन्द्र गुप्ता व अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

- **आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के मामले को राजस्थान हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया**
- **हालांकि अदालत ने कहा है कि यदि दो सप्ताह में आदेश की पालना कर ली जाती है तो निदेशक को अदालत में पेश होने की जरुरत नहीं है।**

याचिका में अधिवक्ता एनके गर्ग ने बताया हाईकोर्ट ने 13 जुलाई 2022 को आदेश जारी कर आयुर्वेद चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी थी। इस पर राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने गत 30 जनवरी को हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की एसएलपी खारिज कर दी। राज्य सरकार ने एसएलपी खारिज होने पर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को 2024 को पूर्व के फैसले को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी व रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद भी राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रही है। इसलिए आदेश की पालना करवाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दो सप्ताह में आदेश की पालना नहीं होने पर आयुर्वेद निदेशक को हाजिर होकर जवाब देने को कहा है।

उपचुनाव में 11 नामांकन पत्र रद्द

जयपुर । राजस्थान में उपचुनाव के लिए 7 विधानसभा क्षेत्रों में अभ्यर्थियों के नामांकन-पत्रों की सोमवार को संवीक्षा हुई। 25 अक्टूबर तक 94 अभ्यर्थियों ने कुल 118 नामांकन-पत्र प्रस्तुत किए थे। संवीक्षा में कुल 11 नामांकन-पत्र रद्द हुए हैं। नामांकन-पत्र वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि संवीक्षा के दौरान दौसा विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 4 नामांकन-पत्र रद्द हुए हैं। खींवसर और देवली-उनियारा में 2-2 तथा झुंझुनू, चौरासी और सलूम्बर में 1-1 नामांकन रद्द हुए हैं। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कोई भी नामांकन-पत्र रद्द नहीं हुआ है। इस प्रकार, कुल 11 नामांकन-पत्र रद्द हुए हैं, जिससे 10 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थना समाप्त हो गई है। महाजन के अनुसार, 7 विधानसभा क्षेत्रों में संवीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की संख्या 84 रह गई है। बुधवार 30 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है।

लीज अवधि बढ़ाने के अधिकार खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को मिलेंगे

जयपुर । राज्य सरकार ने प्रदेश के अप्रधान खनिज लीज धारकों को बड़ी राहत देते हुए लीज अवधि में वृद्धि के सभी अधिकार संबंधित खनिज अभियंता व सहायक अभियंता को दे दिए हैं। गौरतलब है कि अप्रधान खनिजों में मेसेनरी स्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, फेल्सपार, क्वार्टज, सिलिका सेंड आदि माइनर मिनरल आते हैं।

- **अप्रधान खनिज लीज धारकों को राज्य सरकार की बड़ी राहत**
- **मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में लिया बड़ा निर्णय**

मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में प्रक्रिया के सरलीकरण की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अधिकारों के विकेन्द्रीकरण का यह बड़ा निर्णय किया है। इससे अप्रधान खनिजधारकों को लीज अवधि बढ़ाने के लिए अलग-अलग स्तर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के हजारों अप्रधान खनिज लीज धारक लाभान्वित होंगे साथ ही, समय व धन की बचत भी होगी।

मुख्यमंत्री व खान मंत्री भजन लाल शर्मा ने खनिज क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग पर जोर देते हुए प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दिया है। इससे पहले एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी की बिड राशि दस लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये कर दी। इससे आर्थिक दृष्टि से कमजोर और स्थानीय नागरिकों की खनिज क्षेत्र में भागीदारी बढ़ सकेगी।

प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने बताया कि अब तक अप्रधान खनिज लीजों की अवधि बढ़ाने के लिए मिनरल के अनुसार राज्य सरकार, निदेशक माइंस, अतिरिक्त निदेशक माइंस एवं अधीक्षण खनिज अभियंता स्तर पर आवेदन करना होता था। राज्य सरकार के सरलीकरण के निर्णय से अब संबंधित खनिज अभियंता या सहायक खनिज अभियंता के स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा और उसी स्तर पर लीज अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सरलीकरण की दिशा में यह राज्य सरकार का बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। रविकान्त ने बताया कि बजट घोषणा की क्रियान्विति में पिछले दिनों ही अधिसूचना जारी कर एक हैक्टेयर से कम के प्लॉट की नीलामी के लिए बिड सिक्योरिटी की राशि दस लाख रुपये से कम कर दो लाख रुपये करने से एक हैक्टेयर से कम के खनिज पट्टों की नीलामी में स्थानीय और अधिक लोग हिस्सा ले सकेंगे। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि इसी तरह से माइनर मिनरल्स के खनन पट्टाधारी और लाइसेंसधारकों की क्वारी लाइसेंस अवधि वर्ष 2040 तक बढ़ाने के बाद देय प्रीमियम राशि एकमुश्त जमा कराने में असुविधा को देखते हुए अधिकतम पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट प्रदान कर दी गई है। एक साल से अधिक की अवधि बढ़ाने पर पांच किश्तों में प्रीमियम राशि जमा कराने की छूट होगी। इसमें पहली किश्त आवेदन के साथ व उसके बाद सालाना किश्त जमा करानी होगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर www.jda.rajasthan.gov.in
क्रमांक-जविप्रा/उपा.जोन-8/2023/डी-1756 दिनांक-25.10.2024
विज्ञप्ति निजी खातेदार की आवासीय योजना कृष्णा सिटी बी के भूखण्ड संख्या 180 क्षेत्रफल 125 वर्गगज का पट्टा दिनांक 22.10.2009 को श्रीमती किशनी देवी पत्नी श्री नानूराम के नाम से जारी की गई थी। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2022 के द्वारा श्रीमती सोनम शर्मा पत्नी श्री संदीप कुमार शर्मा को बेचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.02.2024 के द्वारा श्रीमती कल्पना देवी कुमावत पत्नी श्री पवन कुमावत को बेचान कर दिया गया। तत्पश्चात इनके द्वारा उक्त भूखण्ड जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.07.2024 के द्वारा श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामप्रसाद माली को बेचान कर दिया गया। वर्तमान में श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री रामप्रसाद माली द्वारा उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा बाद-मियाद आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण पत्र जारी कर दिया जावेगा। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।
उपायुक्त जोन-8, जविप्रा, जयपुर

AAVAS FINANCIERS LTD. SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड
(सीआईएन: L65922RJ2011PLC034297)
पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020, राजस्थान, भारत | फोन: +91 141 661 8800
फैक्स: +91 141 661 8861 | ईमेल: info@aavas.in | वेबसाइट: www.aavas.in
सार्वजनिक सूचना
कंपनी की मालपुरा शाखा को नए स्थान पर स्थानांतरित करने की सूचना
यह सूचित किया जाता है कि कंपनी की मालपुरा शाखा इस सूचना की तारीख से तीन महीने बाद ग्राउंड फ्लोर, टीवीएस शोरूम के सामने, बृजलाल नगर, दूदू रोड, मालपुरा-304502, राजस्थान से ग्राउंड फ्लोर, कुमावत भवन, बस स्टैंड के सामने, मालपुरा, टोंक-304502, राजस्थान स्थान पर स्थानांतरित कर दी जाएगी।
आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड के लिए
एसडी/-
शरद पाठक
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी
दिनांक: 28 अक्टूबर 2024
स्थान: मालपुरा

प्लेसमेंट एजेंसी से लगे संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए विभिन्न पदों पर लगे संविदा कर्मियों को हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख चिकित्सा सचिव, स्वास्थ्य निदेशक, निदेशक जन स्वास्थ्य और एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ ने यह आदेश सौरभ शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बीते कई सालों से प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर और फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर काम कर रहे हैं। इस दौरान उनका कार्य संतोषजनक रहा है। वहीं अब विभाग उन्हें हटाकर दूसरे संविदाकर्मियों को नियुक्त कर रहा है। याचिका में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता स्वीकृत पदों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जब तक इन पदों पर नियमित भर्ती से नियुक्ति नहीं होती, तब तक एक संविदा कर्मी को हटाकर दूसरे संविदा कर्मी की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। इसलिए याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को पद से हटाने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

दिल्ली के बीकानेर हाउस में दीपोत्सव

जयपुर । नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में सोमवार को दीपावली पूर्व दीपोत्सव-2024 का आयोजन किया गया जिसमें प्रसिद्ध राजस्थानी लोकगायक रफीक लंगा ने अपने गायन से आगंतुकों को उत्साहित किया।

बीकानेर हाउस के चांदनी बाग में आवासीय आयुक्त कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का राजस्थान के मुख्य प्रमुख सचिव सुधांश पंत ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजू ओम प्रकाश, उप आवासीय आयुक्त रिंकू मीणा, मनोज सिंह सहित दिल्ली स्थित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे। अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अंजु ओमप्रकाश ने बताया कि इस दीपोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बीकानेर हाउस प्रांगण में राजस्थानी परंपरा के अनुरूप दीपावली उत्सव मनाना है। कार्यक्रम का प्रारंभ गणेश वंदना से हुआ। इसके उपरांत लोकगायक रफीक लंगा द्वारा प्रस्तुत विभिन्न फिल्मी और गैर फिल्मी गीतों एवं सूफी संगीत ने कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों और आगंतुकों को आनंदित किया।

राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने नई दिल्ली के बीकानेर हाउस में दीपोत्सव का शुभारंभ किया।

कार्यालय ग्राम पंचायत सखबारा, पंचायत समिति सैपऊ (धौलपुर)
क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/01-06 दिनांक: 28.10.2024
ई-निविदा सूचना 02/2024-2025
ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 50.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 06.11.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No.ZDH2425GLRC00485 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
सरपंच ग्राम पंचायत सखबारा
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सखबारा

कार्यालय ग्राम पंचायत चौराखेडा, पंचायत समिति सैपऊ (धौलपुर)
क्रमांक/ग्रा.प./ई.नि.नि.सा./2024/spl.01-06 दिनांक: 28.10.2024
ई-निविदा सूचना 01/2024-2025
ग्राम पंचायत परिक्षेत्र में महानरेगा एवम् ग्रामीण विकास एवम् पंचायतीराज की विभिन्न योजनाओं के तहत सम्पूर्ण वर्षवार स्वीकृत निर्माण कार्यों में निर्माण सामग्री आपूर्ति अनुमानित लागत लगभग 50.00 लाख के लिये सक्षम श्रेणी के पंजीकृत फर्मों से ऑनलाइन ई-निविदा दिनॉक 07.11.2024 को समय 10:00 एएम तक आमंत्रित की जाती है, जिसका UBN No.ZDH2425GLRC00486 है। विस्तृत विवरण https://.sppp.rajasthan.gov.in व https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।
सरपंच ग्राम पंचायत चौराखेडा
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत चौराखेडा

बजट घोषणाओं के काम जल्द से जल्द पूरा करवाएं : वैभव गालरिया

नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने ली अफसरों की बैठक

जयपुर । नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने सोमवार को अधिकारियों की बैठक लेकर सरकार की बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली।

बैठक में जयपुर मेट्रो के विस्तार, वाईफाई युक्त लाईब्रेरी तथा को-वर्किंग स्टेशन के निर्माण, जयपुर के निकट हाईटेक सिटी निर्माण, रीजनल अरबन प्लानिंग बिल, विभिन्न शहरों में एलिवेटेड रोड निर्माण, सड़क निर्माण, आरओबी निर्माण, पार्कों के विकास, सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने सहित अन्य बजट घोषणाओं की समीक्षा की गई।

गालरिया ने कहा कि राज्य सरकार की मंशानुसार गांव से लेकर कस्बे तक, शहर से लेकर जिला मुख्यालय तक विकास कार्य कराए जा रहे हैं, ऐसे में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाना अतिमहत्वपूर्ण है। उन्होंने निर्देश दिये कि जिस बजट घोषणा के कार्यो की निविदा जारी नहीं हुई है, उन्हें तत्काल जारी किया जाये। उन्होंने विकास प्राधिकरणों व नगर विकास न्यास के उच्चाधिकारियों को त्वरित गति से कार्य सम्पादित करवाये जाने, गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने तथा प्रगतिरत कार्यो की नियमित सघन मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश भी दिये।

गालरिया ने विभिन्न नगरीय निकायों में चल रहे पौधरोपण के कार्यो की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि पौधों को रोपने के साथ ही उनका संरक्षण और संवर्द्धन भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में हुए पौधारोपण के बाद उनके संरक्षण पर ध्यान दें।

उल्लेखनीय है कि बजट घोषणा में नगरिय विकास विभाग से संबंधित 59 कार्यों में से 14 कार्य मौके पर आरंभ कराए जा चुके है तथा आगामी नवंबर माह तक लगभग 15 कार्य और प्रारंभ कर दिए जाएंगे। जयपुर शहर में से जनकमार्ग से सिरसी रोड गौतम मार्ग तक ऐलीवेटेड रोड, सी-जोन बाईपास पर राणा कुम्भा रोड तक ऐलीवेटेड सड़क, अम्बेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल तक ऐलीवेटेड सड़क, कलेक्ट्रेट सर्किल से सरदार पटेल मार्ग तक एलिवेटेड सड़क इनकी फिजिबिलिटी एवं डी.पी.आर. बनाने का कार्य मार्च 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

इसी प्रकार सांगानेर क्षेत्र में 90 करोड़ तथा विद्याधर नगर क्षेत्र के लगभग 50 करोड़ रु. की लागत से विकास कार्य तथा जयपुर शहर के विभिन चौराहों का 25 करोड़ रुपये की लागत के कार्य, ज